

# छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड



(छत्तीसगढ़ शासन का एक उपक्रम)

(ISO 9001:2015 Certified)

प्रथम तल उद्योग भवन, रिंग रोड क्रमांक-1 तेलीबांधा, रायपुर, 492006 (छत्तीसगढ़)

CIN: U45203CT1981SG001853, PAN: AABCM6288N, GSTN: 22AABCM6288N5ZY

दूरभाष : कार्या.- 0771-6002071-73, फ़ैक्स: 0771-2583794

Website: [www.csidc.in](http://www.csidc.in) Email: [csidc.cg@nic.in](mailto:csidc.cg@nic.in), [csidc\\_raipur@yahoo.com](mailto:csidc_raipur@yahoo.com)

क्र.: सीएसआईडीसी / विप. / समन्वय / 2020-21 4226 रायपुर, दिनांक 07/07/2020  
प्रति,

✓ समस्त दर अनुबंध धारक इकाई,

मेसर्स.....

Email .....

विषय :- सामग्री के निष्पादित दर अनुबंध की दर वैधता अवधि बढ़ाये जाने बाबत।

संदर्भ :- 1. छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग का ज्ञापन क्र. एफ 20-70/2004/11/6 (पार्ट), नवा रायपुर दिनांक 30.06.2020

2. इकाई के पक्ष में संलग्न वस्तुओं की सूची में से निष्पादित दर अनुबंध।

उपरोक्त संदर्भित विषयांतर्गत संलग्न 53 वस्तुओं की सूची अनुसार इकाई के पक्ष में निष्पादित दर अनुबंध की दर वैधता अवधि दिनांक 30.06.2020 तक एवं माह अगस्त 2020 को समाप्त होने के फलस्वरूप, दर वैधता अवधि दिनांक 30.09.2020 तक बढ़ाया जाना है। जिसमें निष्पादित दर अनुबंध की दर वैधता अवधि दर अनुबंध निष्पादन तिथि से 30.09.2020 तक प्रभावशील होगा।

अतः आपकी इकाई के संदर्भित 53 वस्तुओं की सूची में से इकाई के पक्ष में निष्पादित दर अनुबंध सामग्री हेतु उल्लेखित दर एवं शर्तों के अनुसार दिनांक 30.09.2020 तक शासकीय क्रेता विभागों को सामग्री प्रदाय करने हेतु संलग्नक प्रपत्र अनुसार रुपये 50/- के नॉन जुडिसियल स्टाम्प पेपर पर सहमति देने का कष्ट करें। ताकि दर अनुबंध की दर वैधता अवधि बढ़ाये जाने हेतु अग्रिम कार्यवाही किया जा सके।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार

(सुबास चन्द्र मगत)  
प्रभारी विपणन

पृ.क्र. :- सीएसआईडीसी / विप. / समन्वय / 2020-21

रायपुर, दिनांक 07/07/2020

प्रतिलिपि :-


समस्त प्रभारी अधिकारी, पी.एस. कक्ष..... विपणन कक्ष, सीएसआईडीसी लिमिटेड रायपुर की ओर सूचनार्थ एवं कार्यवाही हेतु।

प्रभारी विपणन

भण्डार क्रय नियम के परिशिष्ट-1 सूची में उल्लेखित वस्तुओं में से 53 वस्तुओं के निर्धारित दर एवं निष्पादित दर अनुबंध की सूची ।

अनुक्रमांक	आरक्षित वस्तुओं का नाम	दर वैधता अवधि (समाप्ति तिथि)	वा. एवं उ. विभाग के आदेश दिनांक 30.06.2020 में प्राप्त स्वीकृति के तहत बढ़ाये गये दर वैधता अवधि
1	ब्लिचिंग पाउडर	30.06.2020	30.09.2020
2	चेन लिक फेंस फैब्रिक	30.06.2020	30.09.2020
3	चॉक	30.06.2020	30.09.2020
4	कंट्रोल पैनल	30.06.2020	30.09.2020
5	हैण्ड पंप	30.06.2020	30.09.2020
6	डिजर्ट कुलर	30.06.2020	30.09.2020
7	फर्नीचर पार्ट-1	30.06.2020	30.09.2020
8	बारबेड वायर	30.06.2020	30.09.2020
9	स्टील पाइप एण्ड ट्यूब्स (जीआईपाइप)	30.06.2020	30.09.2020
10	एचडीपीई पाइप एण्ड फिटिंग	30.06.2020	30.09.2020
11	मॉस्किटों नेट	30.06.2020	30.09.2020
12	पेन्ट एण्ड डिस्टेंम्पर	30.06.2020	30.09.2020
13	पॉलिथिन बैग	30.06.2020	30.09.2020
14	पीवीसी पाइप एण्ड फिटिंग्स	30.06.2020	30.09.2020
15	आरसीसी हयूम पाइप	30.06.2020	30.09.2020
16	रोड साईन बोर्ड	30.06.2020	30.09.2020
17	रोल अप बोर्ड	30.06.2020	30.09.2020
18	हैण्ड पंप स्पेयर्स	30.06.2020	30.09.2020
19	स्टील ट्री-गार्ड	30.06.2020	30.09.2020
20	तारपोलिन	30.06.2020	30.09.2020
21	यूपीवीसी स्क्रीन एण्ड केसिंग पाइप	30.06.2020	30.09.2020
22	वाटर टैंकर	30.06.2020	30.09.2020
23	व्हाइट एण्ड ब्लैक बोर्ड (राइटिंग बोर्ड)	30.06.2020	30.09.2020
24	आरसीसी फेंसिंग पोल	30.06.2020	30.09.2020
25	एलडीपीई फिल्म	30.06.2020	30.09.2020
26	केप कव्हर	30.06.2020	30.09.2020
27	यूटेंसिल स्टेनलेस स्टील	30.06.2020	30.09.2020
28	प्रेशर कुकर	30.06.2020	30.09.2020
29	प्रेस स्टील शटर एण्ड विन्डों	30.06.2020	30.09.2020
30	एंगल आयरन फेंसिंग पोल	30.06.2020	30.09.2020
31	फिनाईल	30.06.2020	30.09.2020
32	सबमर्सिबल पम्प (सिंगल फेस)	30.06.2020	30.09.2020
33	स्प्लिट एयर कंडिशनर	30.06.2020	30.09.2020
34	डीज़ल जनरेटर सेट (लोवर रेटिंग)	30.06.2020	30.09.2020
35	आरसीसी फेंसिंग पोल पार्ट-2	30.06.2020	30.09.2020
36	प्लास्टिक मोल्डेड फर्नीचर	30.06.2020	30.09.2020

अनुक्रमांक	आरक्षित वस्तुओं का नाम	दर वैधता अवधि (समाप्ति तिथि)	वा.एवं उ. विभाग के आदेश दिनांक 30. 06.2020 में प्राप्त स्वीकृति के तहत बढ़ाये गये दर वैधता अवधि
37	व्यायाम उपकरण	30.06.2020	30.09.2020
38	ड्रीकिंग वाटर कुलर	30.06.2020	30.09.2020
39	सोडियम हाईपोक्लोराइट	30.06.2020	30.09.2020
40	सिलाई मशीन	30.06.2020	30.09.2020
41	फेरिक एलम	30.06.2020	30.09.2020
42	आरसीसी कि.मी. एण्ड गार्ड स्टोन	30.06.2020	30.09.2020
43	वाटर स्टोरेज टैंक	30.06.2020	30.09.2020
44	प्लाई एश ब्रिक्स	30.06.2020	30.09.2020
45	मल्टी जिम	30.06.2020	30.09.2020
46	फर्नीचर पार्ट-2	30.06.2020	30.09.2020
47	पीवीसी एल्युमिनियम केबल	18.08.2020	30.09.2020
48	पीवीसी सबमर्सिबल केबल	18.08.2020	30.09.2020
49	फायर इक्सटीन्गुशर	18.08.2020	30.09.2020
50	स्टील सिलेण्डर रेनफोस कंक्रीट पाईप	18.08.2020	30.09.2020
51	सिलिंग फेन	12.08.2020	30.09.2020
52	प्री-स्कूल किट	18.08.2020	30.09.2020
53	युपीएस सिस्टम	18.08.2020	30.09.2020

  
 प्रभारी विपणन  
 01/07/20

प्रति,

प्रबंध संचालक,  
छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमि.  
रायपुर (छ.ग.)

मैं ..... प्रोपराईटर/अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता मेसर्स .....  
..... सामग्री ..... के

लिए सीएसआईडीसी द्वारा निष्पादित दर अनुबंध की दर वैधता अवधि दिनांक 30.09.2020 तक बढ़ाई जाती है तो पूर्व निष्पादित दर अनुबंध क्रमांक ..... दिनांक ..... में सम्मिलित समस्त आईटम के निर्धारित मापदण्ड के अनुरूप क्रेता विभाग को मैं/हम प्रदाय करने हेतु निम्नानुसार सहमति प्रदान करते हैं:-

1. यदि सीएसआईडीसी द्वारा आमंत्रित निविदा के तहत नवीन दरों में निर्धारित स्पेशिफिकेशन समान पाये जाने के स्थिति में कोई कमी पाये जाने पर कम पाई गई दर हमें मान्य होगी। तथा इस नवीन दर पर क्रेता विभाग को प्रदाय करने हेतु हम बाध्य होंगे।
2. सीएसआईडीसी द्वारा उक्त सामग्री के लिए पूर्व निष्पादित दर अनुबंध की दर वैधता अवधि आगामी दिनांक ..... से 30.09.2020 तक बढ़ाया जाना है, जिसमें निष्पादित दर अनुबंध की दर वैधता अवधि दिनांक ..... से 30.09.2020 तक प्रभावशील होगा। उक्त संबंध में सीएसआईडीसी के दर अनुबंध व निविदा से संबंधित शर्तों एवं नियमों को मानने के लिए मैं/हम बाध्य होंगे।
3. यह भी प्रमाणित करता हूँ कि दर अनुबंध वैधता अवधि के समाप्ति दिनांक ..... (सहमति पत्र प्रस्तुत करने की तिथि) से इस अंडरटेकिंग निष्पादन की तिथि के बीच की अवधि में हमारी इकाई द्वारा किसी भी शासकीय विभाग से इस दर अनुबंध की सामग्री का आदेश (क्रयादेश) प्राप्त नहीं किया है, न ही इकाई द्वारा शासकीय विभागों को उक्त सामग्री की आपूर्ति की है।
4. उपरोक्तानुसार हमारे द्वारा प्रस्तुत यह सहमति पत्र अंतिम एवं मान्य होगा।

इकाई के अधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर व इकाई का मुद्रांक

रायपुर

दिनांक :-

(अधिकृत नोटरी द्वारा सत्यापित)

सत्यापन

मै/हम उपरोक्तानुसार बिन्दु क्रमांक 1 से 04 तक में वर्णित लेख को सत्यापित करता हूँ/करते है कि मेरे/हमारे द्वारा उल्लेखित तथ्य/बिन्दु/मेरे/हमारे ज्ञान से पूर्णतः सत्य एवं सही है और किसी भी तथ्य को छुपाया नहीं गया है।

सत्यापित किया गया .....(स्थान) .....दिनांक .....दिवस .....

**शपथकर्ता के हस्ताक्षर**

इकाई के अधिकृत प्रतिनिधि व इकाई के मुहर सहित

**गवाह के हस्ताक्षर/नाम/पता**

Signature / Name/ Address of Witness